**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 48**

**17.07.2017 को उत्तर के लिए**

**वन नीति को अद्यतन बनाया जाना**

**48. श्री के. आर. अर्जुनन:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत की वन नीति को अद्यतन बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने कोर्इ समय-सीमा, जिसके भीतर एक तिहार्इ भारत की भूमि, वन अथवा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगी, का निर्धारण न करने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**

**(डॉं हर्ष वर्धन)**

(क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

\*\*\*\*\*